झारखण्ड सरकार

वाणिज्य–कर विभाग

निविदा सूचना

वाणिज्य–कर विभाग, झारखण्ड, राँची में विशेष सचिव के लिए बाह्य स्त्रोत से 01 (एक) सफेद रंग का वाहन (टोयोटो इटियॉस अथवा स्वीफ्ट डिज़ायर) उपलब्ध कराने हेतु इच्छुक आपूर्तिकार्ताओं से आवेदन पत्र आमंत्रण सूचना ।

वाणिज्य–कर विभाग, झारखण्ड, राँची में विशेष सचिव के लिए बाह्य स्त्रोत से 01 (एक) सफेद रंग के वाहन (टोयोटो इटियॉस अथवा स्वीफ्ट डिज़ायर) की आवश्यकता है जो आवेदन की तिथि को एक वर्ष से अधिक पुरानी नहीं हो।

बाह्य स्त्रोत से वाहन की आपूर्ति किये जाने हेतु इच्छुक आपूर्तिकर्ता का दर निर्धारण वाणिज्य–कर विभाग, झारखण्ड, राँची द्वारा किया जाना है।

अतः ऐसे इच्छुक आपूर्तिकर्त्ता, जो विभाग द्वारा निर्धारित शर्त्तों के अन्तर्गत वाहन उपलब्ध कराने से इच्छुक है, से आवेदन पत्र आमंत्रित किये जाते है।

आवेदन पत्र विहित प्रपत्र में जमा करने की अन्तिम तिथि दिनांक 25.10.2019 को अपराह्न 04:00 बजे तक है।

आवेदन पत्र का प्रारूप एवं शर्त्त तथा अन्य विवरणी वाणिज्य–कर विभाग, झारखण्ड, तीसरा तल्ला, प्रोजेक्ट भवन, धुर्वा, राँची के लेखा शाखा से प्राप्त किया जा सकता है अथवा वाणिज्य–कर विभाग के वेबसाईट www.jharkhandcomtax.gov.in से भी प्राप्त किया जा सकता है।

14/10/19

(पार्वती हंस)
सरकार के उप सचिव।
वाणिज्य–कर विभाग,
तीसरा तल्ला,
प्रोजेक्ट भवन, धुर्वा,
राँची, (झारखण्ड) –834004।

वाणिज्य–कर विभाग, झारखण्ड, राँची में विशेष सचिव के लिए बाह्य स्त्रोत से 01 (एक) सफेद रंग का वाहन (टोयोटो इटियॉस अथवा स्वीफ्ट डिज़ायर) उपलब्ध कराने हेतु इच्छुक आवेदकों हेतु आवश्यक निर्देश

(1) वाणिज्य–कर विभाग, झारखण्ड, राँची को विशेष सचिव हेतु सफेद रंग के 01 (एक) वाहन (टोयोटो इटियॉस अथवा स्वीफ्ट डिज़ायर) की आवश्यकता है जो आवेदन की तिथि को एक वर्ष से अधिक पुरानी नहीं हो।

(2) आवेदक से अपेक्षा की जाती है कि वह इस प्रपत्र के निदेशों का भलीभांति अध्ययन कर ले और यह सुनिश्चित कर लें कि वह आवेदन की सभी शर्त्तों/आवश्यकताओं को पूर्ण करते है।

(3) आवेदकों को अपना प्रस्ताव विहित प्रारूप के अनुसार ही तैयार करना है।

(4) आवेदन के साथ सभी अपेक्षित कागजातों की प्रतियां संलग्न करना आवश्यक है।

(5) उपरोक्त तैयार आवेदन को मुहरबंद लिफाफे में आवेदक द्वारा रख कर प्रेषित किया जायेगा और उस लिफाफे पर स्पष्ट रूप से निम्नवत् विवरण अंकित होना चाहिए –

– **''विशेष सचिव के लिये बाह्य स्त्रोत से वाहन की आपूर्ति किये जाने हेतु आवेदन पत्र''**

लिफाफे पर आवेदक का नाम, पता एवं सम्पर्क दूरभाष नंबर भी स्पष्ट रूप से अंकित होना चाहिए।

(6) पूर्ण रूप से भरा हुआ आवेदन निम्नलिखित पते पर प्रेषित किया जाएगा–

पता – सचिव–सह–आयुक्त, वाणिज्य–कर विभाग, झारखण्ड सरकार, तीसरा तल्ला, प्रोजेक्ट भवन, धुर्वा, राँची–834004।

(7) प्रस्तावित दर GST रहित होगा। GST के अन्तर्गत निबंधित आवेदकर्त्ता को वाणिज्य–कर विभाग द्वारा GST के विहित दर से भुगतान किया जायेगा।

(8) पूर्ण रूप से विहित प्रपत्र में भरे हुए आवेदन दिनांक 25.10.2019 को अपराह्न 04:00 बजे तक सचिव–सह–आयुक्त, वाणिज्य–कर विभाग, झारखण्ड, राँची के कार्यालय में प्राप्त होना आवश्यक है। फैक्स अथवा ई–मेल आदि के माध्यम से प्राप्त आवेदनों पर विचार नहीं किया जाएगा।

(9) डाक में आवेदन के गुम हो जाने अथवा विलम्ब से प्राप्त होने का उत्तरदायित्व सचिव–सह–आयुक्त, वाणिज्य–कर विभाग, झारखण्ड, राँची का नहीं होगा और विलम्ब से प्राप्त आवेदनों को बिना खोले आवेदक को लौटा दिया जाएगा।

(10) सचिव–सह–आयुक्त, वाणिज्य–कर विभाग, झारखण्ड, राँची द्वारा किसी भी समय आवेदन प्रक्रिया एवं तिथियों में परिवर्त्तन किया जा सकता हैं।

(11) आवेदन जमा करने की अन्तिम तिथि से पूर्व किसी समय यदि कोई आवेदक जमा किये गये आवेदन में संशोधन करना चाहता है तो वह इस आशय का लिखित आवेदन कर संशोधन करा सकता है परंतु ऐसी स्थिति में उसे लिफाफे पर ''संशोधित आवेदन'' स्पष्ट रूप से अंकित करना होगा। आवेदन जमा करने की अन्तिम तिथि के उपरान्त आवेदन में कोई परिवर्त्तन/ संशोधन स्वीकार्य नहीं होगा।

(12) आवेदन प्रकिया के दौरान आवेदनों के मूल्यांकन, स्पष्टीकरण अथवा वस्तुस्थिति के संबंध में कोई जानकारी किसी भी व्यक्ति, जो अनाधिकृत रूप से इस प्रकिया से संबंधित नहीं है, को नहीं दी जाएगी।

(13) इस आशय का नोटरी द्वारा अभिप्रमाणित शपथ पत्र संलग्न करना अनिवार्य होगा कि आवेदक के विरूद्ध किसी प्रकार का पुलिस/विजीलेन्स जाँच विचाराधीन नहीं है और न ही

उन्हें किसी सक्षम माननीय न्यायालय द्वारा किसी अपराध के लिए कभी दण्डित किया गया है।

(14) आवेदक यदि GST कर प्रणाली में निबंधित है, तब निबंधन प्रमाण पत्र की छाया प्रति संलग्न करेंगे।

(15) उक्त बाह्य स्त्रोत पर वाहन आपूर्ति की अवधि वाणिज्य–कर विभाग द्वारा आदेश निर्गमन की तिथि से 36 (छत्तीस) माह के लिए होगी, जिसमें प्रत्येक 12 (बारह) माह के पश्चात् नवीकृत करने का अधिकार वाणिज्य–कर विभाग का होगा।

(16) उपरोक्त निर्धारित दर 12 (बारह) माह की अवधि के लिए वैध होगा। 12 (बारह) माह की अवधि के पश्चात् एवं नवीकरण के पूर्व निर्धारित दर को बढ़ाना या घटाना पेट्रोल/डिजल के बढ़े / घटे हुए दर पर निर्भर करेगा और इस संबंध में अंतिम निर्णय लेने का अधिकार वाणिज्य–कर विभाग, झारखण्ड, राँची का होगा।

(17) आवेदनों को इस हेतु गठित विभागीय स्तर पर समिति एवं इच्छुक आवेदकों की उपस्थिति में खोला जाएगा।

(18) आवेदनों को मूल्यांकन के दौरान सभी शर्त्तों को पूर्ण करने वाले एवं इस प्रपत्र में दी गयी शर्त्तों से सहमत होनेवाले आवेदकों को सफल घोषित किया जाएगा।

(19) आवेदन स्वीकृत करने का पूर्ण अधिकार गठित समिति के पास सुरक्षित है। आवेदन स्वीकृत करने हेतु दरों, आपूर्ति किये गये वाहन की गुणवता तथा आवेदक के प्रोफाईल एवं पुरानी परफारमेन्स को ध्यान में रख कर निर्णय लिया जाएगा।

(20) आवेदक द्वारा कार्य के संबंध में विभिन्न अधिनियमों/नियमों यथा–श्रम अधिनियम न्यूनतम पारिश्रमिक अधिनियम, पीएफ, मोटरयान अधिनियम आदि में विहित व्यवस्थाओं/नियमों/औपचारिकताओं का अनुपालन किया जाएगा। (जहाँ लागू हो)

(21) सभी प्रकार के टोल टैक्स, पार्किंग चार्ज आदि का भुगतान आपूर्तिकर्त्ता द्वारा किया जाएगा और उसकी प्रतिपूर्ति संबंधित पदाधिकारी के हस्ताक्षर सहित वास्तविक व्यय का प्रमाण प्रस्तुत करने के पश्चात् वाणिज्य–कर विभाग द्वारा किया जाएगा।

<u>सामान्य नियम एवं शर्त्ते</u>

(22) आवेदनकर्ता/ आपूर्तीकर्ता द्वारा सफेद रंग के 01 (एक) वाहन (टोयोटो इटियॉस अथवा स्वीफ्ट डिज़ायर, जो आवेदन की तिथि को एक वर्ष से अधिक पुरानी नहीं हो) की आपूर्ति की जायेगी।

(23) आपूर्ति की जानेवाली वाहन उत्कृष्ट गुणवत्ता (Excellent Condition) वाली होनी चाहिए। वाहन की आन्तरिक साज–सज्जा यथा सीट कवर, तौलिया, पढ़ने के लिए बिजली, फुटमैट आदि अच्छी क्वालिटी का होना आवश्यक है।

(24) वाहन के टायर, बैट्री, हेडलाईट बीम, इन्डिकेटर वाईपर, शीशा, दरवाजा एवं अन्य समस्त एसेसरीज उचित एवं उत्कृष्ट गुणवता के होने चाहिए।

(25) वाहन नियमानुसार जिला परिवहन कार्यालय में पंजीकृत होनी चाहिए तथा करार की अवधि में वाहन के समस्त शुल्क, फिटनेस शुल्क, मोटर वाहन कर, बीमा, प्रदूषण प्रमाण चालक लाईसेन्स आदि से संबंधित व्यय आपूर्तिकर्त्ता द्वारा वहन किये जायेंगे।

(26) वाहन का चालक वाहन चलाने की दृष्टि से हृष्ट–पुष्ट (Medically Fit) एवं पर्याप्त अनुभवी और वाहन चालन में दक्ष होना चाहिए। चालक का आचरण मृदुभाषी अनुशासित होना अपरिहार्य है।

(27) ऐसे चालक जो नशे के सेवन का आदी हो अथवा खतरनाक ढंग से वाहन चलाता हो अथवा किसी पुलिस वाद आदि में दोषी पाया गया हो, को आपूर्तिकर्त्ता द्वारा सेवायोजित

नहीं किया जाएगा। विभाग द्वारा किसी चालक के संबंध में पुलिस सत्यापन प्रमाण की अपेक्षा की जा सकती है। चालक के वैध ड्रायविंग लायसेन्स की छाया प्रति आवेदन के साथ संलग्न करना होगा एवं चालक के बदलने की स्थिति में नये चालक के वैध ड्रायविंग लायसेन्स की छाया प्रति वाणिज्य–कर विभाग मे समर्पित करनी होगी।

(28) वाणिज्य–कर विभाग, झारखण्ड, राँची द्वारा वाहन के किसी ऐसे चालक, जो अपने कर्त्तव्य का पालन उचित ढंग से करने में असमर्थ है अथवा उसका आचरण एवं कार्य संतोषजनक नहीं है, को हटाने हेतु आपूर्तिकर्त्ता को निदेशित किया जा सकता है। ऐसी स्थिति में आपूर्तिकर्त्ता को तत्काल दूसरे चालक की व्यवस्था करनी होगी।

(29) वाणिज्य–कर विभाग, झारखण्ड, राँची मार्ग में होने वाली किसी प्रकार की क्षति अथवा अप्रत्याशित घटना/दुर्घटना के लिए उत्तरदायी नहीं होगा। मार्ग मैं दुर्घटना की स्थिति में किसी प्रकार के चिकित्सा बीमा, मुआवजा एवं अन्य विधिक आवश्यकताओं का अनुपालन संबंधित आपूर्तिकर्ता द्वारा किया जाएगा।

(30) आपूर्तिकर्त्ता का यह दायित्व होगा कि चालक के पास पर्याप्त धनराशि (Cash) उपलब्ध हो, ताकि यात्रा के दौरान ईंधन, मरम्मत अथवा वाहन संबंधित अन्य व्यय किया जा सके।

(31) मार्ग/यात्रा के दौरान वाहन में किसी प्रकार की खराबी (Breakdown) होने पर आपूर्तिकर्त्ता को तत्काल अन्य वाहन की व्यवस्था अपने व्यय पर करनी होगी। यदि किसी समय आपूर्तिकर्त्ता को वैकल्पिक वाहन की व्यवस्था करने में असफल रहता है तो वाणिज्य–कर विभाग आपूर्तिकर्ता को किये जानेवाले भुगतान की राशि से वैकल्पिक वाहन की व्यवस्था करने के लिए अधिकृत होगा।

(32) वाहन का प्रयोग राज्य के भीतर एवं बाहर कहीं भी किया जा सकता है।

(33) आपूर्तिकर्त्ता द्वारा किसी भी दशा में आबंटित कार्य का पुर्नठेके (Sub-let) पर नहीं दिया जाएगा।

(34) आपूर्तिकर्त्ता द्वारा आवेदन में दर का प्रस्ताव समर्पित किया जाएगा। आवेदन में वाहनों की मासिक दर के आधार पर 1500 कि0मी0 प्रति महीने के लिए प्रस्तावित दर उल्लेखित किया जाना है। अगर किसी माह में 1500 कि0मी0 का पूर्ण उपयोग नहीं होता है तो वह अगले महिने में उपयोग किया जा सकता है। इस माईलेज की गणना प्रत्येक वर्ष मार्च में अथवा करार के अंतिम महिने में की जा सकेगी। वाहन पूर्ण रूप से संबंधित पदाधिकारी/वाणिज्य–कर विभाग के नियंत्रण में होगा एवं प्रतिदिन औसतन 12 घंटे तक उपयोग में लाया जा सकेगा।

(35) वाहन में लॉग बुक के अतिरिक्त एक शिकायत/सुझाव पुस्तिका भी रखना आवश्यक होगा।

(36) वाहन में नियमानुसार स्टेपनी, टूल किट, फर्स्ट एड बॉक्स आग बुझाने का यंत्र (Fire extinguisher) भी आपूर्तिकर्त्ता द्वारा स्वंय के व्यय पर रखना आवश्यक है।

(37) आपूर्तिकर्त्ता द्वारा विपत्र समर्पित किये जाने के तिथि से सामान्यतः 30 दिनों के भीतर आपूर्तिकर्त्ता को भुगतान वाणिज्य–कर विभाग द्वारा मासिक आधार पर किया जाएगा।

(38) आयकर एवं GST कर प्रणाली के नियमों के अनुसार वाणिज्य–कर विभाग द्वारा भुगतान के समय आयकर एवं GST की कटौती (TDS) की जाएगी।

(39) यदि आपूर्तिकर्त्ता समय पर वाहन उपलब्ध कराने पर विफल रहते हैं अथवा आपूर्तिकर्त्ता द्वारा प्रदान की जा रही सेवाएँ संतोषजनक नहीं रहीं हैं, तब करार को निरस्त करने का अधिकार वाणिज्य–कर विभाग का होगा।

वाणिज्य–कर विभाग,
झारखण्ड, राँची।

वाणिज्य–कर विभाग, झारखण्ड, राँची में विशेष सचिव के लिए बाह्य स्त्रोतों से वाहन उपलब्ध कराने हेतु इच्छुक आपूर्तिकर्ताओं के लिए आवेदन पत्र

(आवेदन पत्र जमा करने की अंतिम तिथि 25, अक्टूबर, 2019 अपराह्न 4:00 बजे तक)
(आवेदनकर्ता द्वारा भरा जायेगा।)

(अ) आवेदक का नाम ....

(ब) पता ....
....
....
(आवेदक के स्वयं का कोई पहचान पत्र एवं पता का कोई वैध कागजात की छाया प्रति संलग्न करें)

(स) दूरभाष संख्या ....(द) ई–मेल ....

- GST के तहत निबंधन संख्या (यदि हो)(छाया प्रति संलग्न करें) ....
- आयकर पैन नंबर (छाया प्रति संलग्न करें) ....
- गतवर्ष में किये गये कार्यो का विवरण (यदि कोई हो) (कृपया प्रतियां संलग्न की जाय)

- आवेदक की विधिक स्थिति (व्यक्तिगत / पार्टनशिप) ....
- चालक का नाम एवं ड्राइविंग लायसेन्स संख्या (छाया प्रति संलग्न करें)...
- आवेदक के नियंत्राधीन वाहन का विवरण ....
(कृपया वाहन का मेक, मॉडल, प्रस्तावित दर आदि का पूर्ण विवरण प्रारूप – 1 में संलग्न करें।)

आवेदक का हस्ताक्षर

प्रारूप – 1

(आवेदक के नियंत्राधीन वाहन का विवरण एवं उनके द्वारा प्रस्तावित दर)

क्र0 सं0	वाहन संख्या	वाहन का मेक	मॉडल	पंजीयन की तिथि	सीट क्षमता	ईंधन का प्रकार	1500 कि०मी० प्रति माह हेतु प्रस्तावित दर

आवेदक का हस्ताक्षर